

## **THE SPECIAL MARRIAGE ACT**

**1. *Who are persons governed by this Act?***

**Ans.** Any person in India and all Indian nationals in foreign countries.

**2. *What should be the minimum age of bride and bride-groom at the time of marriage?***

**Ans.** Bride-18 years, Bride-groom-21 years

**3. *What are the other conditions for a valid marriage under this Act?***

**Ans.**

1. Any two persons belonging to different religions may marry under this Act without changing their religions.
2. Neither party should have a spouse living at the time of marriage. Widow, widower and a divorcee may perform marriage under this Act.
3. Neither party should be incapable of giving a valid consent in consequence of unsoundness of mind.
4. Neither party should be suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children.
5. Neither party should be suffering from incurable insanity.
6. Parties should not be within degrees of prohibited relationship.
7. Age:  
Bridegroom: 21 years.  
Bride: 18 years.

**4. *Which Authority is competent to solemnize marriage and the procedure for solemnization and registration of marriage under this Act?***

**Ans.**

1. No religious ceremonies are required.
2. The marriage is performed by Marriage Officer appointed by the Government.
3. Parties to the marriages shall give notice to Marriage Officer in the prescribed performa.
4. Marriage Officer enters this information in the Register maintained by him and a public notice of this information is given by the Marriage Officer.

## विशेष विवाह अधिनियम

**प्रश्न** यह अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होता है ?

उत्तर भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय ।

**प्रश्न** विवाह के समय वर और वधू की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए ?

उत्तर वधू – 18 वर्ष और वर – 21 वर्ष

**प्रश्न** इस अधिनियम के तहत एक मान्य विवाह के लिए क्या शर्तें हैं ?

- उत्तर क) इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म को मानने वाले कोई भी दो व्यक्ति बिना अपना धर्म बदले विवाह कर सकते हैं ।
- ख) विवाह के समय कोई भी पक्ष विवाहित नहीं होना चाहिए । इस अधिनियम के तहत विधवा, विदुर और तलाकशुदा भी शादी कर सकता/सकती है ।
- ग) कोई भी पक्ष विवाह के लिए अयोग्य और सहमति देने में मानसिक तौर पर असमर्थ नहीं होना चाहिए ।
- घ) कोई भी पक्ष किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए कि वह विवाह व बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हो ।
- ङ) किसी भी पक्ष को पागलपन के दौरों में न पड़ते हों ।
- च) दोनों पक्ष आपस में किसी निषिद्ध रिश्ते में नहीं होने चाहिए ।
- छ) लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।

**प्रश्न** इस अधिनियम के तहत विवाह करवाने और विवाह को पंजीकृत करवाने के लिए कौन सा प्राधीकरण सक्षम है और विवाह की क्या प्रक्रिया है ?

- क) कोई धार्मिक रस्म जरूरी नहीं हैं ।
- ख) सरकार द्वारा नियुक्त वैवाहिक अधिकारी द्वारा शादी सम्पन्न करवाई जाती है ।
- ग) विवाह करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा वैवाहिक अधिकारी को एक निर्धारित फार्म में सूचना देनी होती है ।
- घ) वैवाहिक अधिकारी इस सूचना को एक रजिस्टर में दर्ज करता है । वैवाहिक अधिकारी इस जानकारी की सार्वजनिक सूचना देता है ।

5. The Marriage is to be performed after 30 days of this public notice and before expiry of two months from issue of notice.
6. Before marriage the applicants and three witnesses shall sign a declaration in the form specified.
7. Marriage shall not be complete and binding unless each party says to the other in presence of Marriage Officer and three witnesses “I (A) take thee (B) to be my lawful wife/husband (in any language understood by the parties)”
8. The marriage is thus completed and recorded in a book kept for that purpose. The entry is signed by the applicants and the witnesses.

**5. Grounds of divorce under this Act?**

**Ans.** Parties may belong to different religions when they perform marriage under this Act, but they will have similar ground for getting a divorce, as mentioned below:

1. Respondent had voluntary sexual intercourse with any person other than the spouse after the marriage.
2. Respondent has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years.
3. Respondent being sentenced to imprisonment for seven years or more for any offence.
4. Respondent has treated the petitioner with cruelty.
5. Respondent has been incurably of unsound mind.
6. Respondent has been suffering from venereal disease.
7. Respondent has been suffering from incurable form of leprosy.
8. Respondent not heard of as being alive for a period of more than seven years.
9. The respondent-husband has been convicted for rape or outraging modesty of any female.
10. Wife may also get divorce on the ground that there was no resumption of cohabitation for period of one year or more since passing of decree or order for maintenance.

- ड) इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के तीस दिन बाद और दो मास खत्म होने से पहले शादी होगी।
- च) शादी से पहले आवेदकों और तीन गवाहों निर्दिष्ट फार्म में घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।
- छ) विवाह को तब तक सम्पन्न नहीं माना जाता है जब तक कि दोनों पक्ष विवाह अधिकारी और तीन गवाहों की उपस्थिति में एक दूसरे से निम्नलिखित नहीं कहते -

“मैं तुम्हें अपना/अपनी वैध पति/पत्नी मानता/मानती हूँ।”

(ऐसा किसी भी भाषा में कहा जा सकता है जिसे दोनों पक्ष समझते हों।)

- झ) इस तरह से विवाह सम्पन्न हो जाता है जिसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इस रिकॉर्ड पर आवेदकों और गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं।

**प्रश्न इस अधिनियम के तहत किस आधार पर तलाक लिया जा सकता है ?**

उत्तर इस अधिनियम के तहत दोनों पक्ष किसी भी धर्म के हो सकते हैं। उनके तलाक लेने के लिए एक जैसे अधिकार हैं जैसे -

- क) यदि प्रतिवादी के विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक सम्बन्ध हों।
- ख) यदि प्रतिवादी ने वादी का परित्याग पिछले दो साल से लगातार कर रखा हो।
- ग) यदि प्रतिवादी को किसी भी अपराध के लिए सात साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो।
- घ) यदि प्रतिवादी ने शादी होने के बाद से वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो।
- ङ) यदि प्रतिवादी अरोग्य पागलपन से पीड़ित हो।
- च) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।
- छ) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जो रोग वादी के सम्पर्क से प्राप्त न हुआ हो।
- ज) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) के जिन्दा होने की खबर सात साल से अधिक तक ना सुनी हो।
- झ) यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पाश्विकता का अपराधी हो।
- ञ) यदि भरण-पोषण के आदेश के बाद एक साल या उससे अधिक तक सहवास ना हुआ हो तो पत्नी इस आधार पर भी तलाक प्राप्त कर सकती है।